(वाद सं0.-1804/4/26/2020)

13.01.2022

प्रसंगाधीन मामला बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के दी जाने वाली भरण–पोषण की स्वीकृत राशि का 1.5 वर्षो से बैक में नहीं भेजने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना** के प्रतिवेदनानुसार " **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अन्तर्गत माह जून, 2018 से दी जाने वाली भरण–पोषण की राशि की जांच ई–सुविधा पोर्टल से करायी गइ। सुलभ प्रसंग हेतु ई–सुविधा पोर्टल की प्रति संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीवास्तव महतो को दिनांक 26.03.2019 एवं दिनांक 05.04.2019 का 1500 रू0 प्रतिमाह की दर से बकाया राशि (1800/–) दिनांक 20.03.2020** को 19, **500/– भरण –पोषण की राशि उनके बंक खाते में अंतरित की गई थी। दिनांक 29.07.2021 (कुल 1500/–) की बकाया राशि के साथ दिनांक 27.10.2021 को (3000/–)अंतरित की गई। विदित हो कि वर्ष 2018 से दिनांक 25.11.2021 तक की राशि श्रीवास्तव महतो के बैक खाते में स्थानांतरित की जाती रही है।"**

अब जबकि परिवादी की समस्या का संतोषजनक समाधान संबधित प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–12–08/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक